न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी – श्री जय कौशिक (आर.ए.एस)

अपील संख्या 06/2023

1. सुमन रणवा पुत्री सुखवीर सिह जाति जाट निवासीनी पटेल कॉलोनी, नवलगढ रोड़ सीकर, तहसील व जिला सीकर
2. मनीषा देवी शर्मा पत्नी परमेश्वरलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासीनी पोसानी, तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर
3. वर्षा सैनी पत्नी रतनलाल सैन जाति नाई निवासी ग्राम कुड़ली तहसील व जिला सीकर

–अपीलाण्टस–

बनाम

1. सरपंच, ग्राम पंचायत बाजोर तहसील व जिला सीकर
2. तहसीलदार, सीकर
3. बिमला देवी पत्नी महावीर सिंह
4. पिन्टू पुत्री महावीर सिंह
5. लालचन्द पुत्र महावीर सिंह समस्त जाति जाट निवासी ग्राम बाजौर तहसील व जिला सीकर

– रेस्पोडेण्टस –

अपील अर्न्तगत धारा 75 एल0आर0एक्ट विरूद्व नामा0 संख्या 1763 दिनांक 4.11.2022 को निरस्त किये जाने बाबत

उपस्थित – वकील अपीलाण्टस– श्री बनवारीलाल

वकील रेस्पोडेण्टस संख्या 3 ता 5– श्री चैन सिंह

निर्णय

दिनांक : 31.08.2023

वकील अपीलाण्टस ने एक अपील विरूद्व नामा0 संख्या 1763 दिनांक 4.11.2022 ग्राम पंचायत बाजोर के पेश की । जिसके संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 363 रकबा 1.0500 है0 वाके ग्राम बाजोर तहसील व जिला सीकर में

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर (राज.)

अवस्थित है। उक्त भूमि में से अपीलाण्टस ने दिनांक 30.9.2022 को रेस्पो0 संख्या 3 ता 5 से उनको 1/3 हिस्सा संपूर्ण प्रतिफल देकर जरिये रजिर्स्टड विक्रय पत्र क्रय कर किया। पटवारी हल्का द्वारा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरकरण नहीं भरकर खसरा नम्बर 346 का भर दिया। जिसके ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 11.11.2022 को प्रस्ताव संख्या 1 के द्वारा तस्दीक कर दिया गया । इस प्रकार गिरदावर हल्का एवं ग्राम पंचायत ने बिना जांच किये ही नामा0 को स्वीकार कर लिया। उक्त गलत नामा0 की जानकारी अपीलाण्टस को दिनांक 25.5.2023 को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु जमाबंदी की नकल लेने पर होने से नामा0 की नकल लेकर यथाशीघ्र अपील प्रस्तुत की गई है। जानकारी के अभाव में हुआ विलम्ब काबिले माफ है। अतः अपील स्वीकार की जाकर नमा0 संख्या 1763 ग्राम पंचायत बाजोर का खारिज किया जावे।

अपील प्राप्त होने पर रिपोर्ट राजस्व लिपिक ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । रेस्पोडेण्टस को जरिये रजिर्स्टड नोटिस तलब किया गया । जिस पर रेस्पोडेण्टस संख्या 3 ता 5 जरिये वकील उपस्थित रहे। रेस्पो0 संख्या 1 व 2 बावजूद विधिवत तामील के उपस्थित नहीं रहे।

वकील उभयपक्ष ने अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं विक्रय पत्र का अवलोकन किया गया । प्रस्तुत विक्रय पत्र के अनुसार अपीलाण्टस द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भूमि खसरा नम्बर 363 रकबा 1.0500 है0 में से रेस्पो0 संख्या 3 ता 5 का 1/3 हिस्सा सम्पूर्ण को क्रय कर किया था। भूलवश नामा0 खसरा नम्बर 346 का भर दिया गया। खसरा नम्बर 346 की खातेदारी में में रेस्पो0 संख्या 3 तो 5 का नाम दर्ज है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय ने बिना जांच किये ही नामा0 तस्दीक किया है, जो कि विधिनुरूप नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्टस प्रस्तुत रिकार्ड के आधार पर स्वीकार की जाकर नामा0 संख्या 1763 दिनांक 4.11.2022 ग्राम पंचायत बजोर तहसील व जिला सीकर को निरस्त किया जाता है । तहसीलदार सीकर को निर्देशित किया जाता है कि वह दोनों पक्षों को नियमानुसार सुनवाई का अवसर देकर नामा0 के संबंध में पुनः कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 31/8/23 को खुले न्यायालय में मेरे हस्ताक्षर से सुनाया गया ।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी, सीकर